कचरा-गंदगी करने पर 9 दुकानें सील

प्रसारण न्यूज़ * रतलाम 10-4

गदंगी करने व अमानक पॉलीथीन उपयोग करने पर 11 व्यक्तियों पर जुर्माना

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते है, अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैं, खुले में यूरिन करते हैं, उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत 19 अप्रैल मंगलवार को 11 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया, साथ ही कचरा एवं गंदगी करने पर विश्व मंगल सरकार फ्रूट, श्रीकृष्ण रेस्टोरेंट, एवर फ्रेश वेजीटेबल फ्रूट मार्केट, सब्जी फल की दुकान व 5 पान की दुकानें सील की गई।

निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार मोनू हिलोड पर 1000, भारत इलेक्ट्रॉनिक, विनोद उपाध्याय, दशरथ, सहज कार डेकोरेटर्स पर 500-500, कलश पंड्या, मोहित सोनकर, विजय कहार, पर 200-200, विनोद प्रजापत, स्वर्ण वेल्डीन व आमीन पर 100-100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी व अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझाईश दी।

स्पॉट फाईन की कार्यवाही कुलदीप भट्ट, विजय मेहना, मनीश झांझोट, अंकित पुरोहित, राजकुमार भाटी आदि के द्वारा की गई।

प्रसारण 20/4/22

15 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

प्रसारण न्यूज * रतलाम

- दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पूरे दिन का वेतन

- बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होंगे सेवा से बर्खास्त

कलेक्टर एवं निगम प्रषासक कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत 19 अप्रैल को प्रातः 14 व दोपहर में 1 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।.

ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की शिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की शिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा। 20-4-22

19 अप्रैल मंगलवार को झोन क्रमांक 1 में सुनील-सोहनलाल, पुष्पाबाई पति प्रहलाद, विजय-फुलचन्द, उमेश-प्रहलाद, अजय-विनोद, बादल-दिलीप, झोन क्रमांक 2 में रमेश-मुंशी, लताबाई पति संजय, बबीताबाई पति कमल, उषाबाई पति मनोहर, सुगनाबाई पति शंकर, रवि-सुरेश, झोन क्रमांक 3 में मुकेश-गोवर्धन, झोन क्रमांक 4 में राधाबाई पति ईश्वर, दोपहर की शिफ्ट में झोन क्रमांक 4 में सुनिताबाई पति शिव इस तरह 15 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है, उन्हें सेवा से बर्खास्त/निलबंन की कार्यवाही की जाएगी।

स्वच्छता में उच्चतम रेटिंग के प्रयास करें नगरीय निकाय-मुख्यमंत्री श्री चौहान

वित्त आयोग की 931.50 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित

रतलाम। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश के नगरीय निकाय स्वच्छता सर्वेक्षण में उच्चतम स्टार रेटिंग प्राप्त करने के प्रयास करें। नगरीय क्षेत्रों में अधो-संरचना विकास के कार्यों का बेहतर क्रियान्वयन हो। प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएम स्ट्रीट वेंडर्स योजना में और अच्छे परिणाम लाने के प्रयास करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रालय से 15वें वित्त आयोग की वित्त वर्ष 2021-22 की 931 करोड़ 50 लाख रूपए की राशि प्रदेश के नगरीय निकायों को सिंगल क्लिक से जारी करते हुए यह बात कही। प्रदेश के मिलियन प्लस नगरों को 432 करोड़ 50 लाख रूपए और नॉन मिलियन प्लस नगरों को 499 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की गई। इस अवसर पर रतलाम एनआईसी कक्ष में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया, डूडा प्रभारी श्री अरुण पाठक आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के उद्बोधन को देखा व सुना गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राजस्व वसूली में अधिकांश शहरों ने उत्कृष्ट कार्य किया है। इस वर्ष निकायों ने गत वर्ष की तुलना में लगभग 35 प्रतिशत अधिक राजस्व प्राप्त किया है। इसके लिए निकाय बधाई के पात्र हैं। उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों एवं अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नगरीय विकास विभाग शहरों को बदलने के सद्प्रयासों में संलग्न है। नगरीय विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। प्रदेश में दो श्रेणियों के नगर हैं। प्रथम श्रेणी मिलियन प्लस आबादी वाले नगरों की है। प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर शामिल हैं। द्वितीय श्रेणी में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर शामिल हैं। मिलियन प्लस शहरों को अनुदान मिलने से वायु गुणवत्ता में सुधार, पेयजल, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य बेहतर तरीके से होंगे। नॉन मिलियन शहरों को बेसिक अनुदान दिया गया है, जिसका उपयोग वे विकास कार्यों के लिए कर सकेंगे। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में उनके गत कार्यकाल में अनेक उपलब्धियाँ अर्जित की गईं। गत 2 वर्ष में भी नगरीय विकास क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। अनेक योजनाओं में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है। आज जारी की जा रही राशि से प्रदेश के नगरीय निकायों में नागरिकों के लिए और भी अच्छी सुविधाएँ विकसित करने का कार्य होगा। मध्यप्रदेश में नगरों की स्वच्छता के कार्य बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश विभिन्न श्रेणियों के अवार्ड प्राप्त कर रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल-संरक्षण के कार्यों में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं। उन्होंने प्रदेश में माफिया पर प्रभावी नियंत्रण के कदम उठाए हैं। अतिक्रमित भूमि मुक्त करवाई जा रही है, जो गरीबों के मकानों के लिए आरक्षित की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में हमारे शहर ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं प्रशासन श्री मनीष सिंह, प्रमुख सचिव जनसंपर्क श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, आयुक्त नगरीय विकास एवं प्रशासन श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव उपस्थित थे। कार्यक्रम से प्रदेश के सभी जिले भी वर्चुअली जुड़े। **किस कार्य के लिए कितनी राशि मिली**-मिलियन प्लस नगरों को वायु गुणवत्ता सुधार के लिए 131 करोड़ 50 लाख और पेयजल, सीवरेज और स्वच्छता के लिए 301 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई। नॉन मिलियन नगरों को स्थानीय विकास कार्यों के लिए 199 करोड़ 60 लाख और स्वच्छता, सीवरेज, पेयजल और संरक्षण के लिए 299 करोड़ 40 लाख रूपए की राशि जारी की गई है।

20-4-22

निगमायुक्त बड़े अतिक्रमण चिन्हित करें, हटाने की कार्रवाई की जाए

भूमि की गड़बड़ी वाले मामलों में प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश

रतलाम। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा सोमवार को समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही गतिविधियों तथा शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्टर ने निगम आयुक्त को निर्देश दिए कि शहर में बड़े अतिक्रमण चिन्हित करें, उनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जिन कॉलोनाइजर्स, भूमाफियाओं द्वारा जमीन के मामलों में गड़बड़ी की गई है उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराए जाएंगे। इस दौरान कलेक्टर ने वर्धमान नगर कॉलोनाइजर द्वारा की गई गड़बड़ी पर उसके विरुद्ध एफआईआर पुलिस थाने में दर्ज कराने के निर्देश एसडीएम को दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अभिषेक गहलोत, निगमायुक्त श्री सोमनाथ झारिया, एसडीएम श्री राजेश शुक्ला, जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एस.एच. चौधरी, डूडा परियोजना अधिकारी श्री अरुण पाठक, जिला महिला बाल विकास अधिकारी श्री रजनीश सिन्हा, सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे आदि उपस्थित थे।

कलेक्टर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 में लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कृषि विभाग तथा जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक द्वारा शिकायतों के निपटान में धीमी गति पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में कृषि विभाग वर्तमान में 30 वीं रैंक पर है तथा लीड बैंक 48 वीं रैंक पर है। कलेक्टर द्वारा कृषि विभाग के समस्त अधिकारियों के वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग के तहत सैलाना विकासखंड में एसडीएम सैलाना द्वारा की गई जांच के दौरान 23 कम्युनिटी हेल्थ ऑर्गेनाइजर अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाए गए। कलेक्टर ने सभी ऑर्गेनाइजर्स की अनुपस्थिति दिवस की सैलरी काटने के निर्देश दिए। रतलाम शहर में व्यवस्था के दृष्टिगत कलेक्टर द्वारा निगमायुक्त को निर्देशित किया गया कि 24 अप्रैल से सभी सब्जी, फल विक्रेता शहर में विक्रय नहीं करेंगे, उनको त्रिवेणी, सैलाना ब्रिज के नीचे, साक्षी पेट्रोल पंप के सामने तथा जवाहर नगर शमशान के समीप विक्रय के लिए स्थान दिया जा रहा है। कलेक्टर ने कृषि विभाग के तहत आत्मा परियोजना के संचालक श्री नरगेश को निर्देशित किया कि वह एक सप्ताह के दौरान उनके द्वारा संपादित कार्यों की जानकारी कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करें। आयुष्मान कार्ड निर्माण की समीक्षा भी की गई। सैलाना, बाजना में कार्य की गति अत्यंत धीमी पाई गई। बाजना में 30 हजार कार्ड बनना शेष है। सैलाना में 11 हजार कार्ड बनाए जाना है। कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी धीमी गति से कैसे काम चलेगा, कार्य की रफ्तार बढ़ाई जाए। समर्थन मूल्य पर जिले में गेहूं की भी समीक्षा कलेक्टर द्वारा की गई। कलेक्टर ने कहा कि जिन स्थानों से शिकायत प्राप्त होगी, उन स्थानों पर केंद्र प्रबंधक नोडल अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

20-4-22

स्वच्छता में उच्चतम रेटिंग के प्रयास करें नगरीय निकाय- मुख्यमंत्री चौहान

- वित्त आयोग की 931.50 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित

- मुख्यमंत्री ने बीते वर्ष से 35 प्रतिशत अधिक राजस्व पर, नगरीय विकास और आवास विभाग को दी बधाई

भोपाल/इन्दौर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश के नगरीय निकाय स्वच्छता सर्वेक्षण में उच्चतम स्टार रेटिंग प्राप्त करने के प्रयास करें। नगरीय क्षेत्रों में अधो-संरचना विकास के कार्यों का बेहतर क्रियान्वयन हो। प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएम स्ट्रीट 'वेंडर्स योजना में और अच्छे परिणाम लाने के प्रयास करें। मुख्यमंत्री चौहान ने आज मंत्रालय से 15वें वित्त आयोग की वित्त वर्ष 2021-22 की 931 करोड़ 50 लाख रूपए की राशि प्रदेश के नगरीय निकायों को सिंगल क्लिक से जारी करते हुए यह बात कही। आज प्रदेश के मिलियन प्लस नगरों को 432 करोड़ 50 लाख रूपए और नॉन मिलियन प्लस नगरों को 499 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की गई।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राजस्व वसूली में अधिकांश शहरों ने उत्कृष्ट कार्य किया है। इस वर्ष निकायों ने गत वर्ष की तुलना में लगभग 35 प्रतिशत अधिक राजस्व प्राप्त किया है। इसके लिए निकाय बधाई के पात्र हैं। उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों एवं अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि नगरीय विकास विभाग शहरों को बदलने के सद्प्रयासों में संलग्न है। नगरीय विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। प्रदेश में दो श्रेणियों के नगर हैं। प्रथम श्रेणी मिलियन प्लस आबादी वाले नगरों की है। प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर शामिल हैं। द्वितीय श्रेणी में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर शामिल हैं। मिलियन प्लस शहरों को अनुदान मिलने से वायु गुणवत्ता में सुधार, पेयजल, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य बेहतर तरीके से होंगे। नॉन मिलियन शहरों को बेसिक अनुदान दिया गया है, जिसका उपयोग वे विकास कार्यों के लिए कर सकेंगे।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में उनके गत कार्यकाल में अनेक उपलब्धियाँ अर्जित की गई। गत 2 वर्ष में भी नगरीय विकास क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। अनेक योजनाओं में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है। आज जारी की जा रही राशि से प्रदेश के नगरीय निकायों में नागरिकों के लिए और भी अच्छी सुविधाएँ विकसित करने का कार्य होगा। मध्यप्रदेश में नगरों की स्वच्छता के कार्य बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश विभिन्न श्रेणियों के अवार्ड प्राप्त कर रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल-संरक्षण के कार्यों में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है। मुख्यमंत्री चौहान इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं। उन्होंने प्रदेश में माफिया पर प्रभावी नियंत्रण के कदम उठाए हैं। अतिक्रमित भूमि मुक्त करवाई जा रही है, जो गरीबों के मकानों के लिए आरक्षित की जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में हमारे शहर ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे।

प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं प्रशासन मनीष सिंह, प्रमुख सचिव जनसंपर्क राघवेंद्र कुमार सिंह, आयुक्त नगरीय विकास एवं प्रशासन निकुंज कुमार श्रीवास्तव उपस्थित थे। कार्यक्रम से प्रदेश के सभी जिले भी वर्चुअली जुड़े।

किस कार्य के लिए कितनी राशि मिली

मिलियन प्लस नगरों को वायु गुणवत्ता सुधार के लिए 131 करोड़ 50 लाख और पेयजल, सीवरेज और स्वच्छता के लिए 301 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई। नॉन मिलियन नगरों को स्थानीय विकास कार्यों के लिए 199 करोड़ 60 लाख और स्वच्छता, सीवरेज, पेयजल और संरक्षण के लिए 299 करोड़ 40 लाख रूपए की राशि जारी की गई है।

नगरीय निकायों को मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश

- प्रधानमंत्री आवास योजना में पर्याप्त राशि उपलब्ध है। प्रयास करें कि हितग्राहियों को समय से किश्त प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

- ग्रीष्म ऋतु में इस बात पर विशेष ध्यान दें कि किसी जिले में पेयजल संकट न हो। इसके लिए आवश्यक तैयारियाँ की जाएँ।

- मानसून आगमन से पहले सड़कों में आवश्यक सुधार करें।

- प्रदेश के सभी शहरों ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में उत्कृष्ट कार्य से प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। अर्बन क्षेत्र के जिन स्ट्रीट वेंडर्स (शहरी पथ विक्रताओं) ने 10 हजार रूपए का ऋण चुकता कर दिया है, उन्हें अब 20 हजार रूपए का ऋण लेने के लिए प्रेरित करें।

अपनी दुनिया 20/4-22

कलेक्टर ने समय सीमा पत्रों की बैठक में समीक्षा की

भूमि की गड़बड़ी वाले मामलों में प्रकरण दर्ज कराने के दिए निर्देश

रतलाम ● स्वदेश समाचार

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही गतिविधियों तथा शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

इस दौरान कलेक्टर ने निगम आयुक्त को निर्देश दिए कि शहर में बड़े अतिक्रमण चिन्हित करें, उनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जिन कॉलोनाइजर्स, भू-माफियाओं द्वारा जमीन के मामलों में गड़बड़ी की गई है उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराए जाएंगे। कलेक्टर ने वर्धमान नगर कॉलोनाइजर द्वारा की गई गड़बड़ी पर उसके विरुद्ध एफआईआर पुलिस थाने में दर्ज कराने के निर्देश एसडीएम को दिए।

कलेक्टर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 में लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कृषि विभाग तथा जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक द्वारा शिकायतों के निपटान में धीमी गति पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में कृषि विभाग वर्तमान में 30 वीं रैंक पर है तथा लीड बैंक 48 वीं रैंक पर है। कलेक्टर द्वारा कृषि विभाग के समस्त अधिकारियों के वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग के तहत सैलाना विकासखंड में एसडीएम सैलाना द्वारा की गई जांच के दौरान 23 कम्युनिटी हेल्थ ऑर्गेनाइजर अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाए गए। कलेक्टर ने सभी ऑर्गेनाइजर्स की अनुपस्थिति दिवस की सैलरी काटने के निर्देश दिए।

रतलाम शहर में व्यवस्था के दृष्टिगत कलेक्टर द्वारा निगमायुक्त को निर्देशित किया गया कि 24 अप्रैल से सभी सब्जी, फल विक्रेता शहर में विक्रय नहीं करेंगे, उनको त्रिवेणी, सैलाना ब्रिज के नीचे, साक्षी पेट्रोल पंप के सामने तथा जवाहर नगर के समीप विक्रय के लिए स्थान दिया जा रहा है।

संपादित कार्यों की जानकारी कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करें

कलेक्टर ने कृषि विभाग के तहत आत्मा परियोजना के संचालक नरगेश को निर्देशित किया कि वह एक सप्ताह के दौरान उनके द्वारा संपादित कार्यों की जानकारी कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करें। आयुष्मान कार्ड निर्माण की समीक्षा भी की गई। सैलाना, बाजना में कार्य की गति अत्यंत धीमी पाई गई। बाजना में 30 हजार कार्ड बनना शेष है। सैलाना में 11 हजार कार्ड बनाए जाना है। कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी धीमी गति से कैसे काम चलेगा, कार्य की रफ्तार बढ़ाई जाए।

समर्थन मूल्य पर जिले में गेहूं की भी समीक्षा कलेक्टर द्वारा की गई। कलेक्टर ने कहा कि जिन स्थानों से शिकायत प्राप्त होगी, उन स्थानों पर केंद्र प्रबंधक नोडल अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

रात्रिकालिन सफाई के 7 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम। शहर के व्यावसायिक क्षेत्रों की रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा सोमवार को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में मोहित-प्रभुदयाल, सत्री-मुकेश, राहूल-राजकंपूर, पंकज-फिरोज, शेखर-मदनलाल, महेश-मिट्ठू व आनन्द-बाबुलाल द्वारा अपने कर्तव्य स्थल पर अनुपस्थित पाये। संबंधित कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटने व सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाने के निर्देश संबंधित को दिये।

कचरा व गंदगी करने पर 9 दुकानें सील

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते है, अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैं, खुले में यूरिन करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है। इसी के तहत मंगलवार को 11 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। साथ ही कचरा एवं गंदगी करने पर विश्व मंगल सरकार फ्रूट,

श्रीकृष्ण रेस्टोरेंट, एवर फ्रेश वेजीटेबल फ्रूट मार्केट, सब्जी फल की दुकान व 5 पान की दुकानें सील किया। निगमायुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार मोनू हिलोड पर 1000, भारत इलेक्ट्रॉनिक, विनोद उपाध्याय, दशरथ, सहज कार डेकोरेटर्स पर 500-500, कलश पंड्या, मोहित सोनकर, विजय कहार, पर 200-200, विनोद प्रजापत, स्वर्ण वेल्डीन व आमीन पर 100-100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी व अमानक पॉलीथीन का उपयोग ना करने की समझाईश दी। स्पॉट फाईन की कार्यवाही कुलदीप भट्ट, विजय मेहना, मनीष झांझोट, अंकित पुरोहित, राजकुमार भाटी आदि के द्वारा की गई।

गंदगी फैलाने पर नौ दुकानें सील

रतलाम। नगर निगम द्वारा शहर में गंदगी फैलाने व अमानक पालिथीन का उपयोग करने वालों के खिलाफ सतत कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को 11 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। साथ ही कचरा व गंदगी करने पर विश्व मंगल सरकार फ्रुट, श्रीकृष्ण रेस्टोरेंट, एवर फ्रेश वेजीटेबल फ्रुट मार्केट, सब्जी फल की दुकान व पांच पान की दुकानें सील की गई। निगम आयुक्त के निर्देशानुसार मोनू हिलोड से 1000 रुपये, भारत इलेक्ट्रानिक, विनोद उपाध्याय, दशरथ, सहज कार डेकोरेटर्स से 500-500 रुपये, कलश पंड्या, मोहित सोनकर, विजय कहार से 200-200 रुपये, विनोद प्रजापत, स्वर्ण वेल्डीन व आमीन से 100-100 रुपये का जुर्माना वसूला गया। स्पाट फाइन दल ने सभी को भविष्य में गंदगी नहीं फैलाने व अमानक पालिथीन का उपयोग नहीं करने की समझाइश दी। कार्रवाई कुलदीप भट्ट, विजय मेहना, मनीष झांझोट, अंकित पुरोहित, राजकुमार भाटी आदि द्वारा की गई।

निगमायुक्त बड़े अतिक्रमण चिन्हित करें, हटाने की कार्रवाई की जाए

भूमि की गड़बड़ी वाले मामलों में प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश

कलेक्टर ने समय सीमा पत्रों की बैठक में समीक्षा की

रतलाम, संवाददाता द्वारा। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा सोमवार को समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही गतिविधियों तथा शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान कलेक्टर ने निगम आयुक्त को निर्देश दिए कि शहर में बड़े अतिक्रमण चिन्हित करें, उनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जिन कॉलोनाइजर्स, भूमाफियाओं द्वारा जमीन के मामलों में गड़बड़ी की गई है उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराए जाएंगे। इस दौरान कलेक्टर ने वर्धमान नगर कॉलोनाइजर द्वारा की गई गड़बड़ी पर उसके विरुद्ध एफआईआर पुलिस थाने में दर्ज कराने के निर्देश एसडीएम को दिए।

बैठक में अपर कलेक्टर अभिषेक गहलोत, निगमायुक्त सोमनाथ झारिया, एसडीएम राजेश शुक्ला, जिला आपूर्ति अधिकारी एस.एच. चौधरी, डूडा परियोजना अधिकारी अरुण पाठक, जिला महिला बाल विकास अधिकारी रजनीश सिन्हा, सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे आदि उपस्थित थे।

कलेक्टर ने मु यमंत्री हेल्पलाइन 181 में लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कृषि विभाग तथा जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक द्वारा शिकायतों के निपटान में धीमी गति पर स त नाराजगी व्यक्त की। प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में कृषि विभाग वर्तमान में 30 वीं रैंक पर है तथा लीड बैंक 48 वीं रैंक पर है। कलेक्टर द्वारा कृषि विभाग के समस्त अधिकारियों के वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग के तहत सैलाना विकासखंड में एसडीएम सैलाना द्वारा की गई जांच के दौरान 23 क युनिटी हेल्थ ऑर्गेनाइजर अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाए गए। कलेक्टर ने सभी ऑर्गेनाइजर्स की अनुपस्थिति दिवस की सैलरी काटने के निर्देश दिए।

रतलाम शहर में व्यवस्था के दृष्टिगत कलेक्टर द्वारा निगमायुक्त को निर्देशित किया गया कि 24 अप्रैल से सभी सब्जी, फल विक्रेता शहर में विक्रय नहीं करेंगे, उनको त्रिवेणी, सैलाना ब्रिज के नीचे, साक्षी पेट्रोल पंप के सामने तथा जवाहर नगर शमशान के समीप विक्रय के लिए स्थान दिया जा रहा है।

कलेक्टर ने कृषि विभाग के तहत आत्मा परियोजना के संचालक नरगेश को निर्देशित किया कि वह एक सप्ताह के दौरान उनके द्वारा संपादित कार्यों की जानकारी कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करें। आयुष्मान कार्ड निर्माण की समीक्षा भी की गई। सैलाना, बाजना में कार्य की गति अत्यंत धीमी पाई गई। बाजना में 30 हजार कार्ड बनना शेष है। सैलाना में 11 हजार कार्ड बनाए जाना है। कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी धीमी गति से कैसे काम चलेगा, कार्य की र तार बढ़ाई जाए। समर्थन मूल्य पर जिले में गेहूं की भी समीक्षा कलेक्टर द्वारा की गई। कलेक्टर ने कहा कि जिन स्थानों से शिकायत प्राप्त होगी, उन स्थानों पर केंद्र प्रबंधक नोडल अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

सेतु संकल्प 19-4

सेतु संकल्प 19-4-22

बड़े कब्जों को हटाएं- कलेक्टर

जमीन की गड़बड़ी वालों पर भी केस दर्ज होंगे

रतलाम, नप्र। शहर में जितने भी बड़े कब्जे हो उनकी पहचान कर हटाने की कार्रवाई की जाएं।

ये निर्देश कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सोमवार को समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में देते हुए निगम आयुक्त को ऐसे कब्जों को हटाने को कहा। कलेक्टर ने कहा कि जिन कॉलोनाइजर्स, भूमाफियाओं ने जमीन के मामलों में गड़बड़ी की है उनके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज कराए जाएंगे। वर्धमान नगर कॉलोनाइजर की गई गड़बड़ी के मामले में कलेक्टर ने कॉलोनाइजर के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश एसडीएम को दिए।

विभिन्न विभागों की गतिविधियों तथा शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा दौरान कलेक्टर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 में लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कृषि विभाग तथा जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक की ओर से शिकायतों के निपटान में धीमी गति पर नाराजगी जताई। कलेक्टर ने कृषि विभाग के सभी अधिकारियों के वेतन रोकने को कहा है। इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग के तहत सैलाना विकासखंड में एसडीएम सैलाना की ओर से की गई जांच दौरान 23 कम्युनिटी हेल्थ ऑर्गेनाइजर अपने काम पर मौजूद नहीं पाकर गैर हाजिर मिले। कलेक्टर ने उन सभी ऑर्गेनाइजर्स की गैर हाजरी दिवस की पगार काटने को कहा। कलेक्टर ने कृषि विभाग के तहत आत्मा परियोजना के संचालक नरगेश को निर्देशित किया कि वह एक सप्ताह के दौरान संपादित कामों की जानकारी प्रस्तुत करें। आयुष्मान कार्ड निर्माण की समीक्षा दौरान सैलाना और बाजना का काम धीमी पाया। बाजना में अभी भी 30 हजार कार्ड बनना बाकी है जबकि सैलाना में 11 हजार कार्ड बनाए जाना है। समर्थन मूल्य पर जिले में गेहूं की भी समीक्षा कलेक्टर ने की।

बैठक में अपर कलेक्टर अभिषेक गेहलोत, निगमायुक्त सोमनाथ झारिया,राजेश शुक्ला, जिला आपूर्ति अधिकारी एस.एच. चौधरी, डूडा परियोजना अधिकारी अरुण पाठक, जिला महिला बाल विकास अधिकारी सीएमएचओ आदि उपस्थित थे।

सड़क पर नही बिकेगे फल-सब्जी

रतलाम, नप्र। रतलाम शहर की यातायात के इंतजाम को बेहतर करने के लिए सड़क से फलों के हाथठेले नहीं लगेंगे। कलेक्टर ने कहा कि आगामी 24 अप्रैल से सभी सब्जी, फल विक्रेता शहर में फल और सब्जी बेच नहीं सकेंगे। शहर की सड़कों पर फल और सब्जियां नहीं बेची जाएगी बल्कि उन्हें व्यापार के लिए जगह मुहैया कराई जाएगी। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने निगमायुक्त सोमनाथ झारिया से कहा कि फल और सब्जी वालों के लिए सैलाना ब्रिज के नीचे, साक्षी पेट्रोल के सामने तथा जवाहनगर मुक्तिधाम के पास जगह दी जाए।

20 प्रदेश टुडे
20-4-22

आक्रोश

5जी टावर निर्माण के खिलाफ जनसुनवाई में पहुंची महिलाएं

वकील कॉलोनी में लगाया जा रहा है यह मोबाइल टॉवर

पत्रिका न्यूज नेटवर्क 20-4-22
patrika.com

रतलाम. वकील कालोनी में एक मकान पर लगाए जा रहे 5जी मोबाइल टावर के खिलाफ कालोनी की महिलाएं जनसुनवाई में पहुंच गई। पांच दिन पहले भी महिलाओं ने कालोनी में विरोध प्रदर्शन किया था। तब जिला प्रशासन ने टॉवर निर्माण रुकवा दिया था। महिलाओं काक कहना था कि टॉवर का निर्माण किसी भी स्थिति में इस कालोनी में नहीं होना चाहिए।

रहवासी ज्योति शुक्ला, पुष्पा व्यास, दीपिका सिंह, राजेश्वरी सोनी, ऋतुरानी शर्मा, हेमलता मालवीय, सुशीला राठौर, गुणमाला सेलोत आदि ने बताया कि कालोनी में मकान नं. 11 पर निजी कंपनी का 5-जी मोबाइल टॉवर लगाया जा रहा है। मोहल्ले के किसी से भी कोई सहमति नहीं ली गई और न सूचना दी गई। गत 13 अप्रैल को इसके निर्माण पर लगाई गई रोक आगे भी लगातार जारी रहे और निर्माण नहीं हो।

प.शिखा
20-4-22

रात्रिकालिन सफाई के 7 कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम। शहर के व्यावसायिक क्षेत्रो की रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था का निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा 18 अप्रैल सोमवार को निरीक्षण किए जाने पर मोहित-प्रभुदयाल, सत्री-मुकेश, राहूल-राजकपूर, पंकज-फिरोज, शेखर-मदनलाल, महेश-मिट्ठू व आनन्द-बाबुलाल द्वारा अपने कर्त्तव्य स्थल पर अनुपस्थित पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियो का एक दिवस का वेतन काटने व सेवा से बर्खास्त किए जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए जाने के निर्देश संबंधित को दिए।

म.प्र. भवन एवं अन्य कर्मकार कल्याण मण्डल की विवाह सहायता योजना में संशोधन

रतलाम। मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अन्तर्गत विवाह सहायता योजना में हितग्राहियों को सामाजिक न्याय विभाग की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रमो में सम्मिलित होकर विवाह करने पर ही हितलाभ प्राप्त होगा। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि योजनान्तर्गत हितग्राहियों को हितलाभ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से विवाह करने पर मण्डल की विवाह सहायता योजना अन्तर्गत हितलाभ की पात्रता नही होगी। उक्त प्रावधान 15 अप्रैल 2022 से लागू हो चुका है।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए शिविरों का आयोजन 26 अप्रैल से

रतलाम। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशन मे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत शिविरों का आयोजन जिले में 26 अप्रैल से किया जा रहा है। शिविरों में योजना की जानकारी दी जाएगी, साथ ही स्थल पर ही योग्य हितग्राही का प्रकरण तैयार किया जाएगा।

महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र मुकेश शर्मा ने बताया कि जिले के जावरा मे 26 अप्रैल को जनपद पंचायत मे शिविर आयोजित होगा। इसके बाद 27 अप्रैल को पिपलोदा, 28 अप्रैल को आलोट तथा 29 अप्रैल को सैलाना जनपद पंचायतों मे शिविर आयोजित किए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत व्यवसाय तथा सेवा कार्य के लिए 25 लाख रूपए तथा उद्योग के लिए 50 लाख रूपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा तथा 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी। 20-4

गंदगी करने पर 9 दुकानें सील, निगम ने की कार्रवाई

रतलाम. शहर में गंदगी करने वालों पर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। नगर निगम की टीम द्वारा मंगलवार को ऐसे 9 लोगों पर कार्रवाई की हैं जिनके द्वारा शहर में गंदगी की जा रही थी। इसके साथ उक्त दुकानदारों की दुकानें भी सील की गई है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य लोगों पर जुर्माना भी किया गया है। कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व लोग जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं या मलबा डालकर व सामान से अतिक्रमण करते है या फिर अमानक पॉलीथीन का उपयोग एवं विक्रय करते हैं। वहीं अन्य तरह से गंदगी करते है उन पर स्पॉट फाईन की कार्रवाई की जा रही है जिसके तहत 11 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।साथ ही कचरा एवं गंदगी करने पर विश्व मंगल सरकार फ्रुट, श्री कृष्ण रेस्टोरेंट, एवर फ्रेश वेजीटेबल, फ्रुट मार्केट, सब्जी फल की दुकान व 5 पान की दुकानें सील की गई।

पत्रिका 20-4-22

26 से लगेंगे शिविर, मौके पर ही बनेगा प्रकरण

रतलाम। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत शिविरों का आयोजन जिले में 26 अप्रैल से किया जा रहा है। शिविरों में योजना की जानकारी दी जाएगी, साथ ही स्थल पर ही योग्य हितग्राही का प्रकरण तैयार किया जाएगा। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र मुकेश शर्मा ने बताया कि जिले के जावरा में 26 अप्रैल को जनपद पंचायत में शिविर आयोजित होगा। इसके बाद 27 अप्रैल को पिपलौदा, 28 अप्रैल को आलोट तथा 29 अप्रैल को सैलाना जनपद पंचायतों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस योजना के तहत व्यवसाय तथा सेवा कार्य के लिए 25 लाख तथा उद्योग के लिए 50 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा तथा 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

सामूहिक विवाह में ही मिलेगा कन्यादान योजना का लाभ

रतलाम। मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत विवाह सहायता योजना में हितग्राहियों को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में विवाह करने पर ही हितलाभ प्राप्त होगा। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि अन्य किसी भी प्रकार से विवाह करने पर मंडल की विवाह सहायता योजना अंतर्गत हितलाभ की पात्रता नहीं होगी। यह प्रविधान 15 अप्रैल 2022 से लागू हो चुका है।

आइटीआइ में अप्रेंटिसशिप जाब फेयर कल

रतलाम। शासकीय आइटीआइ सैलाना रोड रतलाम में अप्रेंटिसशिप जाब फेयर 21 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। लगभग 380 पदों पर विभिन्न कंपनियों द्वारा भर्ती की जाएगी।

नई दुनिया 20-4-22

गंदगी करने पर 9 दुकानें सील, 11 पर जुर्माना

भास्कर संवाददाता | रतलाम

सार्वजनिक स्थानों पर कचरा डालकर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ मंगलवार को नगर निगम अमले ने कार्रवाई की। बाजार क्षेत्र में दुकानों के आसपास गंदगी पाए जाने पर 9 दुकानों को सील कर दिया। 11 अन्य व्यक्तियों पर गंदगी फैलाने पर जुर्माना किया। कार्रवाई आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देश पर की। जिन 9 दुकानों को सील किया, उनमें विश्व मंगल सरकार फ्रुट, श्रीकृष्ण रेस्टोरेंट, एवर फ्रेश वेजिटेबल फ्रुट मार्केट, सब्जी फल की दुकान और पांच की दुकानें शामिल हैं। साथ ही मोनू हिलोड पर 1000 रुपए, भारत इलेक्ट्रॉनिक, विनोद उपाध्याय, दशरथ, सहज कार डेकोरेटर्स पर 500 रुपए, कलश पंड्या, मोहित सोनकर, विजय कहार पर 200 रुपए, विनोद प्रजापत, स्वर्ण वेल्डीन व आमीन पर 100 रुपए का स्पॉट फाइन लगाया। कार्रवाई कुलदीप भट्ट, विजय मेंहना, मनीष झांझोट, अंकित पुरोहित, राजकुमार भाटी आदि ने की। 20/4-22

भास्कर 20-4-22

स्वच्छता में उच्चतम रेटिंग के प्रयास करें नगरीय निकाय - मुख्यमंत्री चौहान

सेतु संकल्प 19-4-22

वित्त आयोग की 931.50 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित

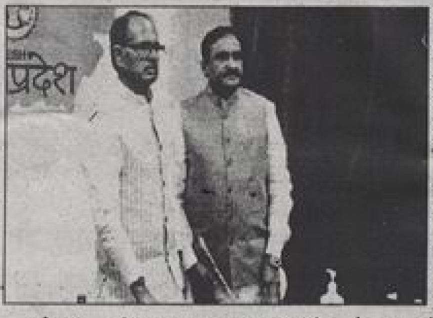

भोपाल, संवाददाता द्वारा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश के नगरीय निकाय स्वच्छता सर्वेक्षण में उच्चतम स्टार रेटिंग प्राप्त करने के प्रयास करें। नगरीय क्षेत्रों में अधो-संरचना विकास के कार्यों का बेहतर क्रियान्वयन हो। प्रधानमंत्री आवास योजना और पीएम स्ट्रीट वेंडर्स योजना में और अच्छे परिणाम लाने के प्रयास करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज मंत्रालय से 15वें वित्त आयोग की वित्त वर्ष 2021-22 की 931 करोड़ 50 लाख रूपए की राशि प्रदेश के नगरीय निकायों को सिंगल क्लिक से जारी करते हुए यह बात कही। आज प्रदेश के मिलियन प्लस नगरों को 432 करोड़ 50 लाख रूपए और नॉन मिलियन प्लस नगरों को 499 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की गई।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राजस्व वसूली में अधिकांश शहरों ने उत्कृष्ट कार्य किया है। इस वर्ष निकायों ने गत वर्ष की तुलना में लगभग 35 प्रतिशत अधिक राजस्व प्राप्त किया है। इसके लिए निकाय बधाई के पात्र हैं। उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों एवं अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नगरीय विकास विभाग शहरों को बदलने के सद्प्रयासों में संलग्न है। नगरीय विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। प्रदेश में दो श्रेणियों के नगर हैं। प्रथम श्रेणी मिलियन प्लस आबादी वाले नगरों की है। प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर शामिल हैं। द्वितीय श्रेणी में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर शामिल हैं। मिलियन प्लस शहरों को अनुदान मिलने से वायु गुणवत्ता में सुधार, पेयजल, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य बेहतर तरीके से होंगे। नॉन मिलियन शहरों को बेसिक अनुदान दिया गया है, जिसका उपयोग वे विकास कार्यों के लिए कर सकेंगे।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में उनके गत कार्यकाल में अनेक उपलब्धियाँ अर्जित की गईं। गत 2 वर्ष में भी नगरीय विकास क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। अनेक योजनाओं में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है। आज जारी की जा रही राशि से प्रदेश के नगरीय निकायों में नागरिकों के लिए और भी अच्छी सुविधाएँ विकसित करने का कार्य होगा। मध्यप्रदेश में नगरों की स्वच्छता के कार्य बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश विभिन्न श्रेणियों के अवार्ड प्राप्त कर रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल-संरक्षण के कार्यों में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं। उन्होंने प्रदेश में माफिया पर प्रभावी नियंत्रण के कदम उठाए हैं। अतिक्रमित भूमि मुक्त करवाई जा रही है, जो गरीबों के मकानों के लिए आरक्षित की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान के नेतृत्व में हमारे शहर ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे।

प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं प्रशासन श्री मनीष सिंह, प्रमुख सचिव जनसंपर्क श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, आयुक्त नगरीय विकास एवं प्रशासन श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव उपस्थित थे। कार्यक्रम से प्रदेश के सभी जिले भी वर्चुअली जुड़े।

किस कार्य के लिए कितनी राशि मिली

मिलियन प्लस नगरों को वायु गुणवत्ता सुधार के लिए 131 करोड़ 50 लाख और पेयजल, सीवरेज और स्वच्छता के लिए 301 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। नॉन मिलियन नगरों को स्थानीय विकास कार्यों के लिए 199 करोड़ 60 लाख और स्वच्छता, सीवरेज, पेयजल और संरक्षण के लिए 299 करोड़ 40 लाख रूपए की राशि जारी की गई है।

सेतु संकल्प
20-4-22

नगर निगम के विभिन्न करों से 12.98 लाख राजस्व प्राप्त हुआ

रतलाम। संपत्तिकर, जलकर, लायसेंस, राजस्व, विकास शाखा, बिल्डिंग परमिशन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करों के तहत 19 अप्रैल को कुल राशि रूपये 12,98,095/- का राजस्व प्राप्त हुआ। नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 19 अप्रैल को संपत्तिकर कार्यालय 596820, वसूली दल 200000 कुल 796820, जलकर कार्यालय से 322150, वसूली दल 79110 कुल 401260, स्पॉट फाईन 12950, दुकान-गुमटी किराया कार्यालय 49066, वसूली दल 23760 कुल 72826 व लीजरेंट 14239 इस तरह कुल राशि रूपये 12,98,095/- का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ। प्रसारण 20-4-22

प्रसारण
20-4-22

अधूरी प्लानिंग • शहरवासियों से मांगे थे सुझाव... लेकिन अमल नहीं किया, अभी कहीं भी चबूतरे नहीं बने

नो-हॉकर्स जोन की राह मुश्किल : साक्षी पेट्रोल पंप के सामने पर्याप्त जगह नहीं, त्रिवेणी मेला मैदान जाने में शहरवासियों को होगी परेशानी

भास्कर लाइव

भास्कर संवाददाता | रतलाम

शहर को नो-हॉकर्स जोन बनाया जाना है। कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त को 24 अप्रैल से फल-सब्जी विक्रेताओं को तय स्थान देने को कहा है। यह राह मुश्किल है। जी हां, अभी 4 स्थान तय किए हैं। इसमें से विनोबा नगर और त्रिवेणी में बैठक हो सकेगी, लेकिन यहां तेज धूप का सामना करना होगा। ब्रिज के नीचे अभी फेंसिंग है। जानिए... अभी कैसी है स्थिति -

1 सैलाना ब्रिज के नीचे फेंसिंग हो रही...

समय - दोपहर 2 बजे
स्थिति - सैलाना ब्रिज के दोनों तरफ फेंसिंग हो रही है। जगह साफ है। मंडी के लिए फेंसिंग में आने-आने का रास्ता खोलना होगा।

2 साक्षी पेट्रोल पंप के सामने जगह कम

समय - दोपहर 2.35 बजे
स्थिति - सैलाना रोड पर साक्षी पेट्रोल पंप के सामने सब्जी और फल विक्रेता को बैठने के लिए जगह देना है। यहां जगह पैक है।

3 विनोबा नगर में मुरम डाल जगह समतल की

समय - दोपहर 2.15 बजे
स्थिति - विनोबा नगर क्षेत्र में अच्छी व्यवस्था की है। जगह को मुरम डालकर समतल कर दिया है। हालांकि, अभी यह जगह खाली है।

4 बाजार वालों के लिए त्रिवेणी मेला क्षेत्र दूर

समय - शाम 4 बजे
स्थिति - त्रिवेणी में सब्जी मंडी लगाने की तैयारी है। यहां जगह है। बाजार क्षेत्र के लोगों को दूर रहेगा। अभी यहां इंतजाम कुछ नहीं है।

शहरवासियों ने यह दिए थे सुझाव... लेकिन, अमल नहीं

- **सुझाव** - पहले मैदानों को जेसीबी से समतल करें, बैठक के लिए 2-3 फीट ऊंचे ओटले सीधी लाइन में बने, अन्य स्थान पर सब्जी-फल नहीं बिकना चाहिए।
- **स्थिति** - विनोबा नगर में समतल किया है। ओटले नहीं है।
- **सुझाव** - बोहरा कब्रिस्तान के सामने पक्की सब्जी मंडी की योजना बनाई जा सकती है।
- **स्थिति** - यहां अभी मंडी की योजना नहीं है।
- **सुझाव** - रेलवे कॉलोनी के लोगों के लिए कॉलोनी मैदान के पास सब्जी विक्रय की सुविधा हो।
- **स्थिति** - रेलवे कॉलोनी के लोगों के लिए अभी योजना सामने नहीं आई।
- **सुझाव** - राम मंदिर की सब्जी मंडी को वन विभाग कैंपस के पास स्वामी विवेकानंद ग्राउंड में लगाया जा सकता है। सभी मार्गों से कनेक्टिविटी है।
- **स्थिति** - अभी यह योजना नहीं है।

कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्लाट लेने वाले लोगों ने कलेक्टर से की शिकायत

रचना हाउसिंग पर आरोप : भूमि स्वामी बोले कॉलोनाइजर अब हमारे प्लाट पर कर रहे कब्जा

पत्रिका पब्लिक कनेक्ट

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. रचना हाउसिंग कॉलोनी के कॉलोनाइजरों की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। करीब तीन सप्ताह पहले कलेक्टर ने बंधक प्लाट को राजसात करने की कार्रवाई के निर्देश दिए थे और अब यहां प्लाट लेने वाले लोगों ने उनके प्लाट पर कॉलोनाइजरों द्वारा कब्जा करने का आरोप लगाया जा रहा है। इस संबंध में प्लाट मालिकों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर कुमार पुरषोत्तम से मिलकर शिकायत भी दर्ज कराई है।

शिकायतकर्ताओं ने बताया कि नगर पालिक निगम सीमा में स्थित भक्तन की बावडी मुक्तिधाम के आगे स्थित सर्वे नम्बर 180/3 पर उनके भूखण्ड हैं जिस पर उक्त लोगों के द्वारा तार व सीमेंट के खंबे से फेंसिंग करवा रखी हैं लेकिन रचना हाउसिंग सोसायटी द्वारा उक्त भूखण्डों पर जबरन कब्जा किया जा रहा है और उनके द्वारा की गई फेंसिंग भी जेसीबी के माध्यम से तोड दी गई है। पीड़ितों ने रचना हाउसिंग सोसायटी द्वारा किए जा रहे कार्य को काम को तत्काल रूकवाने की मांग की है। शिकायत पर कलेक्टर ने मामले की जांच एसडीएम के पास भेजी है।

बंधक प्लाट राजसात के थे निर्देश

20-4-22

रचना हाउसिंग कॉलोनी में विकास कार्य पूर्ण नहीं कराए जाने पर कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरषोत्तम द्वारा पूर्व में बंधक प्लाट को राजसात करने की कार्रवाई करने के निर्देश नगर निगम को दिए थे। कलेक्टर एवं निगम प्रशासक के निर्देश पर नगर निगम ने विकास कार्य की अनुमति के बाद भी समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर कॉलोनी के बंधक प्लाट राजसात करने की कार्रवाई की थी।

समय सीमा में नहीं हुआ काम

उक्त कॉलोनी को दिसंबर 2013 में कॉलोनी का विकास कार्य करने की अनुमति दी गई थी। इसके लिए तीन वर्ष का समय भी दिया गया था लेकिन आठ वर्ष बीत जाने के बाद भी विकास कार्य पूर्ण नहीं किए गए। नगर निगम ने कॉलोनाइजर को आश्रय निधि की शेष राशि जमा करने एवं विकास कार्य पूर्ण करने को लेकर सूचना पत्र भी जारी किए गए थे लेकिन हालात नहीं बदले। इसके बाद कॉलोनी विकास के पेटे बंधक रखें 22072.23 वर्ग मीटर प्लॉट को तत्काल प्रभाव से राजसात करने के आदेश जारी किए गए थे।

पत्रिका 20/4/22